उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-25 /384/22-4-14-48(53)/12

लखनऊ : दिनांक-04 दिसम्बर, 2014

विज्ञप्ति/नियुक्ति

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर- 669 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय गैर सरकारी जेल वीक्षकों को नामित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या- 1495/22-4-2002-48(23)/99, दिनांक 07-01-2003 में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत **जिला कारागार, गाजियाबाद** के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को गैर सरकारी जेल वीक्षक नियुक्त करते हैं। ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इनकी नियुक्ति इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष (02 वर्ष) तक की अवधि के लिए होगी, यदि इसके पूर्व ही इनकी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त न कर दी जाय।

1- श्री राहुल पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी-227, जटवाड़ा , गाजियाबाद।

2- श्री राजकुमार चौधरी पुत्र श्री चरन सिंह चौधरी, निवासी- 11ए/121, नेहरू नगर, गाजियाबाद।

3- श्री तेज राम यादव, एडवोकेट, चैम्बर नं0- 550, कलेक्ट्रेट, गाजियाबाद।

4- श्री डी0के0 गोयल, निवासी- सी0ई0-48, फस्ट फ्लौर , नियर शिव मंदिर, पुराना कविनगर, गाजियाबाद।

एस0के0रघुवंशी
सचिव

संख्या-25/384(1)/22-2-4-14-तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्0 इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।

5- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद

6- सम्बन्धित व्यक्ति।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in